बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

... 05–15 / 2025(स्वा0) .... / पटना, दिनांकः–.................................

डॉ० संजय कुमार, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मशरख, सारण सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध संस्थागत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं लेखापाल के मिलीभगत से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र एवं फर्जी जख्म प्रतिवेदन निर्गत करने, अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सा पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई नहीं करने, श्री भगत कुमार के इच्छानुसार जख्म प्रतिवेदन निर्गत करने हेतु श्री शिव कुमार के माध्यम से 7,900/– रु० रिश्वत की राशि प्राप्त करने, दवाओ को भण्डार पंजी सधारित नहीं करने, लेखापाल के पदस्थापन होने के बावजूद डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के माध्यम से सामग्री का क्रय करने का आदेश देने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं०–687(9) दिनांक–23.06.2025 द्वारा डॉ० कुमार को निलंबित किया गया।

2. सक्षम प्राधिकार द्वारा डॉ० कुमार को अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन रखते हुए निलंबन मुक्त कर पदस्थापन की प्रतीक्षा में विभाग में योगदान करने का विनिश्चय किया गया है।

3. अतएव डॉ० संजय कुमार, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मशरख, सारण सम्प्रति निलंबित को विभागीय कार्यवाही के अधीन रखते हुए निलंबन मुक्त करते हुए पदस्थापन की प्रतीक्षा में विभाग में योगदान करने का निदेश दिया जाता है।

4. विभागीय कार्यवाही सचालन हेतु अलग से संकल्प निर्गत किया जाएगा। निलंबन अवधि पर निर्णय विभागीय कार्यवाही के फलाफल पर लिया जाएगा।

5. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–05–15/2025स्वा0) .... **/पटना, दिनांकः–**..........................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–05–15/2025(स्वा0) 125(9) **/पटना, दिनांकः–** 29.01.26

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं सारण प्रमंडल, छपरा/सिविल सर्जन, सारण/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषांग विकास भवन, पटना/सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० संजय कुमार, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मशरख, सारण सम्प्रति निलंबित मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उपेन्द्र 29/01/2026

सरकार के अवर सचिव।